**2026:AHC:35662**

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद**

**रिट -सी संख्या - 6364/2026**

प्रभावती देवी ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य ..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार बिन्द,मोहित कुमार तिवारी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

**<u>न्यायलय संख्या -6</u>**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया**

1. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात उप जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.), कड़छना, जिला प्रयागराज को निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 207 के अधीन अपील संख्या 2186 / 2024 (प्रभावती देवी बनाम राम बली) तथा कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी202402030502186 का निर्णय करने का निर्देश देना है।

2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

3. आज पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा मुद्दे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात उप जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.), कड़छना, जिला प्रयागराज को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उपरोक्त अपील का निर्णय, विधि के अनुसार सख्ती से, यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से **छह माह की अवधि** के भीतर करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

**17 फरवरी , 2026**

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

( न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया )

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"